Knowledge Consortium of Gujarat
Department of Higher Education - Government of Gujarat
Journal of Social Science - ISSN : 2279-0268

Continuous Issue-30 | March – April 2018

"त्रिपल तलाक़ कानून : एक सामाजिक आवश्कयता"

प्रस्तावना

मार्थिन ल्युथर किंग ने "Stride Toward freedom" में कहा है की " आधुनिक एवम प्रगतिशील समाज में यदि कोई सामाजिक कुरीति किसी व्यक्ति को समानता एवम स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करती है ! तो समय रहते समाज को इस कुरीति से मुकत करा देना चाहिए यह कुरीति एक प्रगतिशील समाज से जड़ समाज में परिवर्तित कर देगी!

हमारे समाज में एक सोच बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और वो है बिना सोचे - समजे किसी प्रथा को जन्म दे देना! सम्पूर्ण ज्ञान न होते हुए भी लोग परंपरा को मान देने लगते है फिर चाहे वे किसी अन्य के लिए दुखदायी ही क्यों न हो !कुछ इसी प्रकार की सोच का परिणाम है वर्तमान में प्रचलित " तिन तलाक़" की परंपरा ने न जाने कितनी ही महीलाओ के जीवन को नरक बना दिया है और न जाने कितने अनगिनत घर - परिवारो को नष्ट किया! आज धर्म और पंरपरा के नाम पर सुधार एवम आवश्कयता है!

अध्ययन के उद्देश्य

- त्रिपल तलाक़ की ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिस्थिति का परिचय करना.
- भारतीय मुस्लिम महिला की त्रिपल तलाक़ कुप्रथा के विरोध के कारणों को समजना
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से समाज में आने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन को समजना .

अनुसन्धान अध्ययन का महत्व

- त्रिपल तलाक़ भारतीय मुस्लिम महिलाओ के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, ये 9 करोड़ महिला के साथ उसका ताल्लुक है.
- ये कुप्रथा भारतीय सविंधान : समानता , स्वतंत्रता, एवं मानवीय अधिकारों के विरुद्ध है , इसी लिए उसे कानून बनना आवशक्य पूर्ण है

मुसलमानों में विवाह विच्छेद :

मुस्लिम विवाह एक सविंदा अथवा समजौता है, अतही उसे तोडना अर्थात विवाह विच्छेद करना न्याय संगत माना गया है! मुसलमानों में पति - पत्नी का सम्बन्ध सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से देखा जाता है . अटूट जन्म - जन्मान्तर का नाता नही माना जाता !

मुसलमानों में विवाह विच्छेद एक आम बात है यह प्रक्रिया सरल मुस्लिम समाज में है, उतनी अन्य समाज में देखने को नही मिलती! यदपि व्यावहारिक जीवन में मुस्लिम विवाहों में भी स्थिरता पाई जाती है, यथापि विवाह- विच्छेद या तलाक़ किसी भी समाज की अपेक्षा अधिक खुली छुट है! इस क्षेत्र मे भी इस्लामी कानून पुरुषो के पक्ष में जुका हुआ है! उदाहरण : पुरुष तो बिना कोई कारण बताए ही केवल तलाक का उच्चारण मात्र करने से सम्बन्ध विच्छेद कर शकता है, जबकि स्त्री ऐसा तब तक नही कर शकती जब तक की वह पुरुष को दोषी प्रमाणित न करे! मुस्लिम समाज में बिना अदालत के सामाजिक रूप से विवाह - विच्छेद करना अति सरल है और न्यायिक रूप से भी इसमे कोई विशेष अडचन नही है!

एस प्रकार मुस्लिम समाज में तलाक़ के दो प्रकार से किया जा सकता है - १}बिना अदालत के और २ } अदालत द्वारा] अथवा प्रथागत रूप में तथा क़ानूनी ढंग से! तथा क़ानूनी ढंग से अग्रिम पंक्तियो में हम तलाक़ के प्रथागत स्वरूप 1] customary form 2] judical form दोनों की अदालती स्वरूप दोनों की विवेचना करेंगे!

तलाक़ का प्रथागत स्वरूप : Customary form of Divorce

मुस्लिम समाजमे तलाक़ का प्रथागत स्वरूप यही अधिकाशत: प्रचलित है. तलाक़ प्राय: बिना अदालत की सहायता के होते है और इस दृष्टी से पुरुष को बहुत ही व्यापक अधिकार मिले हुई है! तलाक़ के प्रथागत प्रकार

१. तलाक़

1. तलाके अहसन : Talak e ahashan

2.तलाके हसन : Talak hasan

3. तलाके बिदत : तलाक़ - उल - बिदत / त्रिपल तलाक़

२. इला . ३ बिहार ४. खुल्ला ५. मुबारत ६. लियांन ७ . तलाक़ तफबिज .

उपरोक्त प्रकार के तलाक़ बिना अदालत के प्रथागत रूप में किया जा सकते है तथा इनका प्रयोग केवल पति ही कर सकता है ! पत्निया केवल पति की सहमती से ही विवाह विच्छेद कर सकती है! तलाक़ के इन स्वरूप या प्रकारों का संशिप्त विवरण इस प्रकार है!

अलिखित या मौखिक तलाक़ के तिन प्रकार होता है.

१.} तलाके अहसन :

इसमें पत्नी के "तुहर" [मासिक धर्म] के समय पति एक बार तलाक़ की घोषणा कर देता है और इदत्त की अवधि तक सहवास नही करता है और इदत की अवधी समाप्त होती है, तो विवाह का नाता भी टूट जाता है! इदत के समय पत्नी ससुराल में रहती है , और इदत का समय ३ महीने १० दिन है. इसमें समजौता के अवकाश ज्यादा है.

२} तलाके -हसन :

इसमें तीनो "तुहरो " मासिक धर्म के समय तलाक़ की घोषणा दोहरानी पडती है. तिन तुहरो के बिच समय में पति -पत्नी सहवास नही करते! तीसरे तुहरे अर्थात मासिक धर्म पर तलाक़ की धोषणा दोहराने के बाद तलाक़ पूरा हो जाता है.

३} तलाके - विदाई या तलाक उल - बिद्दत / त्रिपल तलाक़ क्या है?

तलाक़ का यह सबसे आसन तरीका है! इसमें किसी तुहर के समय पति एक ही बार स्पष्ट रूप से तलाक़ एकदम हो जाता है ! घोषणा के समय पत्नी या गवाह की उपस्थिति आवशक्य नही है!

कभी कभी यह भी होता है की एक ही टुहुर के समय थोड़े थोड़े समयांतर से तलाक़ की घोषणा तिन बार की जाती है और तलाक़ पूरा माना जाता है!

उलेखनीय है की तुहर के समय ही तलाक़ की घोषणा का नियम इसीलिए लिखा गया है ताकि यह पता चल जाए की तलाक़ के समय स्त्री गर्भवती तो नही थी!

तिन तलाक को कुरान में इजरत मोह्हमदजि ने नापाक एवं गुन्हा माना है, ओमयाद के राजाओ ने ६४० में अरब की स्थापना की और तिन तलाक और बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा दिया था.

- यहा तलाके हसन और तलाक़ ऐ उल बिद्दत में मुख्य अंतर को समज लेना चाहिए की जहा तलाक़ हसन तोडा जा सकता है अर्थात विवाह फिर से चालू रखा जा सकता है वहा तलाक़ ऐ विदाई को समाप्त नही किया जा सकता अर्थात एक बार तलाक़ हो गया तो उसे लौटाया नही जा सकता! तलाक़ ऐ अहसन और तलाक़ ऐ हसन में मुख्य अंतर यह है की जहा पहले तलाक़ इदत का समय पूर्ण होने के दूसरा तलाक़ तीसरी घोषणा के बाद पूर्ण माना जाता है!

- **मुस्लिम वस्ती विश्लेष्ण :**

भारत में १४.२ % मुस्लिम वस्ती है, १७२ मिलियन लोग इस्लाम धर्म के पाए गए है जिसमे भारतीय मुस्लिम महिलाओ की आबादी 9 करोड़ है . भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुस्लिम वस्ती वाला देश है.

- **त्रिपल तलाक़ विरोद्ध के कारण**

१. पत्नी की सहमती या पूर्व जानकारी के बिना

२. पति का तानाशाही रुख

३. समजौता का विकल्प नही

४. विडियो कॉल , मेसेज, इ-मेइल, आदी से तलाक

५.पकिस्तान, तुर्की, सहित २२ मुस्लिम देशो में त्रिपल तलाक़ प्रतिबंधित है.

६. तलाक के बाद सामाजिक, आर्थिक, स्थिति दयनीय कारण भरण-पोषण प्रावधान नही.

८. अनैतिक, अलोकतांत्रिक एवम महिला सशक्तिकरण के प्रयास के विरोद्ध में है .

9. मिस्त्र, ट्युनिसिया, इराक, बांग्लादेश, ओमान, कतर, तुर्की इन मुस्लीम देशो में बिना अदालत के तलाक नही हो शकते .

- **त्रिपल तलाक के मामले विभिन्न पक्ष**

[१]. मुस्लिम महिलाओ का पक्ष:

भारतीय मुस्लिम महिलाओ के पर सर्वे से पता चला की ९२% मुस्लिम महिलाऐ त्रिपल तलाक और बहुपत्नीत्व के विद्रोध में समर्थन दिया, सर्वे से पता चला की उन्हें साथ जबरजस्ती, आकरण, कभी कभी दहेज के कारण भी, बेटी के जन्म जेसे अन्य सामाजिक - आर्थिक समस्याओ के कारण तलाक़ बन शकता है .

मेरा हक़ फाउंडेशन नेतृत्व {बरेली } में विरोद्ध हुआ है.

[२].All India Muslim personal Law bord के मुद्दे :

उनके मुताबित संविधान अनुछेद २५-२९ अप्लसंख्यको के धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का रक्षण में हस्तक्षेप नही करे.

मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिकार १९३९ औरतो को भी तलाक का हक़ है.

तिन तलाक पर प्रतिबद्ध शरीयत कानुन से छेड़छाड़ अत: उन्हें मंजूर नहो है.

[३] सरकार का पक्ष :

भारत धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतान्त्रिक देश इस तरह की कुरीतियों संवैधानिक मूल्यों एवं संस्कारो के विपरीत है , महिला के सम्मान एवं लैंगिक समानता के विरुद्ध है , धार्मिक कानुन की समानता {अ.१४ } एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार पर वरीयता नही दी जा सकती {a-२१} .

- **कानुन का अर्थ :**

कानुन मनुष्य की जरूरियात का सर्जन है, कानुन शासन का हेतु जनकल्याण है

सर जॉहन सामंड :कानुन ऐसे नियमो का समूह है की जिसे राज्य द्वारा न्याय का विभाजन को स्वीकृत अमल करने के लिए हो .

जस्टीनयन: कानून यानि योग्य एवं अयोग्य का मापदंड .

प्रो.एच. एल. हार्ट: कानुन नियमो की पध्धति है.

यह कुप्रथा दूर करना सिर्फ धर्म से, या मजहब से लड़ाई नही है , है ये उन ७ करोड़ भारतीय मुस्लिम महिलाओ के सन्मान, समानता , जेंडर इक्विलिटी और जेंडर न्याय की मांग है . जो हमारे भारत के सविधान में और मानव हक मै प्रदान की गई है.! सर्वोच्च अदालत की पांच जजों की सविधानिक पीठ मुस्लिम समाज में प्रचलित 'तिन तलाक़' ,'निकाह हलाला' , और 'बहु विवाह' , की प्रथा को लेकर दायरा याचिका पर सुनवाई करके फैस्ला २२ ऑगस्ट २०१७ में किया की :

- त्रिपल तलाक़ क़ानूनी रूप से अवैध्य एवम गैर सवेधानिक है.
- त्रिपल तलाक़ देने वाले को तिन साल की सजा और जुरमाना
- त्रिपल तलाक़ की पीड़ित और उसके बच्चे को भत्ता मिलेगा
- नाबालिक बच्चेका जिम्मा अपने माँ के पास होगा
- यह ठराव जम्मू- कश्मीर के आलावा भारत भर में लागु होगा .
- तलाक़ बोलके, लिखके या इलेक्टिक माध्यम से नही दे शकते ,उसे क़ानूनी नोटीस के माध्यम से ही भेजा जाये.

यह फैसला उन ४० साल से लड़ रही साहबानो जो तिन तलाक़ से अपने ५ बच्चे के साथ घर से बेघर की गई थी उन जैसी हजारो महिलाओ की जीत बन गई है . जिन्होंने ये कुरूति के खिलाफ आवाज उठाई. यहा ये बताना जरूरी है की इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रन्थ कुरान में तिन तलाक़ को गुन्हा माना गया है ! लेकिन पुरुषवादी सोच के चलते मुस्लिम समाज में यह कुरीति प्रचलित है!

लोकसभा में the Muslim women {पप्रोटेक्शन ऑफ़ राईट ओफ मरिज बिल २०१७ } पास हो गया है, पर अभी तक राज्यसभा मै बिल नही पास हुआ है. यह तभी कानुन बनेगा जब राज्यसभा की बहुमति और राष्टपति के हस्तासर होंगे! महिलाओ के समान हक़ का महत्त्व हमें देश को, नई पीढ़ी को समजाना पड़ेगा : हमारे देश की आधी आबादी को हम पीछे रखके कभी भी प्रगति की और जा नही सकते! हमें ऐसे तीखे सवाल उठाना पड़ेंगे और मानवीय हक़ के लिए आगे आना चाहिए !

समापन

इस तरह त्रिपल तलाक़ भारतीय मुस्लिम महिला की योग्य मांग है, सुप्रीम कोर्ट ने भी त्रिपल तलाक़ को अवेध्य माना है, ये कुप्रथा महिला सशक्तिकरण एवं मानव अधिकारों के खिलाफ है. पर राजनिक स्वार्थ, वोटबेंक, परंपरागत धर्मगुरु, एवं कट्टरवादी धार्मिक नेता के विरोध से अभी भी ये कानुन नहीं बन सका है, हमें धर्म, राजकारण, निजी स्वार्थ को नजर अंदाज करके भारतीय मुस्लिम महिला के स्वाभिमान, सुरक्षा एवं उनकी गरिमा का ख्याल करके देशहित में कानुन बनना एक महत्वपूर्ण आवश्कयता है.

संदर्भ

I. महिला एवं कानून : _चेतना मेहता _इफ़ेसिएन्त आफसेट प्रेस

II. विवाह का समाजशास्त्र _ डॉ. एम्. एन. लवानिया _ रिसर्च पब्लिकेशन

III. दारे कुरानी, भाग ४, पेज नं. २० दुर्रे मंसूर, भाग २ पेज नं. ३३३

IV. न्याय शास्त्र : बोर्देन हाईमन १९७४ , भाग १०

V. भारतीय बंधारण : मुलभुत अधिकार

VI. कुरान सूरा २. सूरा ऐ तलाक़ आयात [२२८- २३४] [१ -५]

VII. htttp://www.ishanllb.com

VIII. ummat - e- nabi foundation

IX. Amalytical studies of the Rule of law in Constitution of india, in the context of fundamental rights : dhiren chhotal : phd thesis.

X. www.indiacensus.com

****

Vyas Radhika Maheshchandra
Maharaja Krishnkumarsinhji Bhavnagar University

Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat